



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230909
CG-DL-E-02112021-230909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4218]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 4218]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4579(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “पारादीप हल्दीया-दुर्गापुर पाइपलाइन संबद्धन परियोजना तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार” अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु अंचल. पुसा, जिला.समस्तीपुर, राज्य.बिहार में इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है उपयोग का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑइल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निर्माण कार्यालय पटना, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना पिन-801503, बिहार को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल- पुसा		जिला- समस्तीपुर		राज्य-बिहार	
मौजा/ थाना नं.	सर्वे/प्लॉट सं.	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
भेरोखरा थाना नं.- 75	2413		00	00	56
	2652		00	00	66
	2826		00	04	52
	2800		00	02	92
	2783		00	00	78
	2791		00	06	54
	2790		00	01	56
रहीमाबाद थाना नं.- 76	2454		00	00	40
	2420		00	03	02
	2425		00	00	48
	1744		00	00	91
	1010		00	04	40
चंक बंगरी थाना नं.- 65	327		00	04	05
	326		00	00	81
महीउद्दीनपुर रजवा थाना नं.- 69	1922		00	14	08
	859		00	05	09
	872		00	05	69
	873		00	01	70
कुबौली बासो थाना नं.- 66	338		00	00	40
	44		00	02	72
	66		00	00	40
	1266		00	04	28
कुबौली राम थाना नं.- 62	1594		00	04	17
	1599		00	05	32
	1600		00	06	83
	1613		00	18	85
	1619		00	11	15
	1624		00	01	45
	1620		00	07	43
	1621		00	00	40

1	2	3	4	5	6
कुबौली राम थाना नं.- 62	1618		00	07	05
	1695		00	06	98
	1696		00	06	36
	1543		00	04	85
	1527		00	02	33
	1533		00	07	05
	1519		00	01	70
	1530		00	05	66
	1528		00	00	40
	1531		00	06	32
	1520		00	04	05
	1518		00	01	01
	1517		00	01	65
	1369		00	01	29
	1365		00	07	00
	1355		00	00	40
	1342		00	09	85
	1378		00	03	67
	1339		00	00	86
	1338		00	12	25
	1337		00	07	35
	1330		00	02	10
	1294		00	08	85
	1293		00	05	30
	1292		00	12	50
	1268		00	19	85
	1266		00	10	97
	1265		00	01	30
	1271		00	04	28
मुरादपुर बंगरा थाना नं.- 63	126		00	21	50
	127		00	01	68
	50		00	03	07

[फा. सं. आर-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4579(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Block-Pusa, District.-Samastipur in the State of Bihar for 'Proposed Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG Product;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Construction Office Patna, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna, Pin No.-801503 (Bihar).

SCHEDULE

Block-Pusa		Dist.-Samastipur		State-Bihar	
Mouja/Thana No.	Survey/Plot No.	Sub-Div.No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. mtr
1	2	3	4	5	6
Bhirokhara Thana No.75	2413		00	00	56
	2652		00	00	66
	2826		00	04	52
	2800		00	02	92
	2783		00	00	78
	2791		00	06	54
	2790		00	01	56
Rahimabad Thana No. 76	2454		00	00	40
	2420		00	03	02
	2425		00	00	48
	1744		00	00	91
	1010		00	04	40
Chakbangri Thana No-65	327		00	04	05
	326		00	00	81
Mohiuddinpur Rajawa Thana No.69	1922		00	14	08
	859		00	05	09
	872		00	05	69
	873		00	01	70
Kubauli Basu Thana No.66	338		00	00	40
	44		00	02	72
	66		00	00	40
	1266		00	04	28
Kubauli Ram Thana No.62	1594		00	04	17
	1599		00	05	32
	1600		00	06	83
	1613		00	18	85
	1619		00	11	15
	1624		00	01	45
Kubauli Ram Thana No.62	1620		00	07	43
	1621		00	00	40
	1618		00	07	05
	1695		00	06	98
	1696		00	06	36

1	2	3	4	5	6
	1543		00	04	85
	1527		00	02	33
	1533		00	07	05
	1519		00	01	70
	1530		00	05	66
	1528		00	00	40
	1531		00	06	32
	1520		00	04	05
	1518		00	01	01
	1517		00	01	65
	1369		00	01	29
	1365		00	07	00
	1355		00	00	40
	1342		00	09	85
	1378		00	03	67
	1339		00	00	86
	1338		00	12	25
	1337		00	07	35
	1330		00	02	10
	1294		00	08	85
	1293		00	05	30
	1292		00	12	50
	1268		00	19	85
	1266		00	10	97
	1265		00	01	30
	1271		00	04	28
Muradpur Bangra Thana.63	126		00	21	50
	127		00	01	68
	50		00	03	07

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-1/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.